

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा म0प्र0

E-mail addr.- deo.mpedagm@mp.gov.in (☎ 07362-259521)

वर्ष 2020-21 के लिये नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के पश्चात् लॉटरी द्वारा निष्पादन हेतु शेष मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर टेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, वर्ष 2020-21 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण के अभाव में जिले के शेष 02 एकल समूहों में सम्मिलित 06 देशी मदिरा एवं 02 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 में प्रकाशित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन निम्नलिखित मदिरा समूहों का लॉटरी आवेदन के माध्यम से कलेक्टर सभाकक्ष, जिला आगर मालवा में जिला समिति द्वारा निष्पादन किया जायेगा।

मदिरा दुकानों/एकल समूहों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	मदिरा दुकान / एकल समूह का नाम	मदिरा दुकान / एकल समूह का क्रमांक	मदिरा दुकान अथवा एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों का दुकानवार नाम तथा वर्गीकरण (देशी/विदेशी)	मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस (कॉलम नं. 5 का 5 प्रतिशत)	मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि (5-6)	लॉटरी आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम नं. 5 का 2 प्रतिशत)	मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2019-20 के प्रारम्भिक 9 माह की खपत	
								देशी/विदेशी मदिरा (प्रूफ लीटर)	बीयर (बल्क लीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एकल समूह सुसनेर	AGR/C-3	दे.म.दु. सुसनेर	23644624	1182231	22462393		42255	0
			वि.म.दु. सुसनेर	25784966	1289248	24495718		22815	62821.2
			दे.म.दु. मेंना रोड़	14124344	706217	13418127		25173	0
			दु.म.दु. श्यामपुरा	3548403	177420	3370983		6381	0
			समूह योग	67102337	3355116	63747221	1342047	96624	62821.2
2	एकल समूह गुराड़िया बंगला	AGR/C-7	दे.म.दु. गुराड़िया बंगला	11021160	551058	10470102		14218	0
			वि.म.दु. मोड़ी	11088148	554407	10533741		5548.5	24765
			दे.म.दु. सोयतखुर्द	6342691	317135	6025556		8136	0
			दु.म.दु. खेरिया	4367865	218393	4149472		5713	0
			समूह योग	32819864	1640993	31178871	656397	33615.5	24765
			समूह महायोग	99922201	4996109	94926092	1998444	130239.5	87586.2


लॉटरी के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम

1	नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा से दिनांक 06 मार्च, 2020 को प्रातः 10.30 बजे से दिनांक 09 मार्च, 2020 अपरान्ह 12.00 बजे तक।
2	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला आगर मालवा में दिनांक 06 मार्च 2020 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 09 मार्च 2020 की अपरान्ह 01.00 बजे तक। टीप:- लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नहीं किये जायेंगे।
3	नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने, खोलने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 09 मार्च 2020 को अपरान्ह 04.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर सभाकक्ष, जिला आगर मालवा में निष्पादन किया जावेगा।

वर्ष 2020-21 के लिए लॉटरी के माध्यम से निष्पादित होने वाली जिले के शेष 02 एकल समूहों में गठित 06 देशी मदिरा एवं 02 विदेशी मदिरा की दुकानों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला आगर मालवा से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। लॉटरी हेतु वर्ष 2020-21 के लिये लॉटरी आवेदन-पत्र का मूल्य एकल समूह के लिये रुपये 30000/- प्रभारित होगा।


मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77, दिनांक 25.02.2020 की प्रति <https://govtpressmp.nic.in> से डाउनलोड की जाकर, विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


(बी.एल. दांगी)
District Excise Officer
जिला आबकारी अधिकारी,
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
आगर मालवा, दिनांक 05 मार्च, 2020

पृ. क्रमांक/आब/ठेका/2020-21/308
प्रतिलिपि :-

- (1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (3) अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उडनदस्ता, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता संभागकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) कलेक्टर कार्यालय, जिला आगर मालवा के नोटिस बोर्ड (सूचना पटल) पर चस्पा हेतु।
- (6) पुलिस अधीक्षक एवम् सदस्य जिला समिति, जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (7) मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवम् सदस्य जिला समिति, जिला पंचायत आगर मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (8) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आगर/सुसनेर की ओर सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड (सूचना पटल) पर चस्पा हेतु।
- (9) आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड़, भोपाल की ओर 05 प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना का प्रादेशिक/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
- (10) सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला..... की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
- (11) सहा0जि0आब0 अधिकारी/मद्यभाण्डागार अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक जिला आगर मालवा की ओर सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।
- (12) सहायक संचालक, जन-सम्पर्क विभाग आगर मालवा की ओर स्थानीय समाचार एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में सूचना एवं समाचार के रूप में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
- (13) जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय आगर मालवा की ओर कार्यालय के नोटिस बोर्ड (सूचना पटल) पर चस्पा हेतु।
- (14) एन.आई.सी. आगर मालवा की ओर www.agarmalwa.nic.in पर अपलोड करने हेतु।


प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी,
District Excise Officer
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
District Agar Malwa (M.P.)